



व खण्ड. 290 को 0.03 हेक्टेयर कुल  
 0.77 हेक्टेयर मूमि पर विद्यमान जो इस  
 कार्यनापुत्र से दस्तावेज मूमि की चर्चुदारी  
 करी होना बताया जो मौके पर खण्ड.  
 292 आबादी, 288 आबादी, गांव.  
 जावाल की खालेवारी मूमि जो तब  
 खण्ड. 290 आबादी की मूमि जो मौके  
 पर 0.77 हेक्टेयर मूमि पर विद्यमान  
 स्थल जो इस कारण कश्चित्त आबादी  
 मूमि में होने से विचारण यह पक्ष  
 शासन से संबंधित रही होने से  
 वही मूमि सिरोही ने विचारण  
 इस कार्यनापुत्र क्रमांक 136 L.R. Act  
 को खारिज करने का नियत किया  
 विचारण पक्ष में प्राथम तब  
 प्राथम सी. 0, सरपंच, गांव. जावाल  
 तब प्राथम सी. 2 से वही मूमि  
 सिरोही द्वारा इस कार्यनापुत्र पर  
 कोरम बहस करने से कोरम  
 बहस सुनी गई, हमने विचारण  
 पक्ष में प्राथम व कार्यनापुत्र  
 सी. 1 व 2 की कोरम बहस सुनी  
 उस पर शासन से मजबूत किया  
 विचारण पक्ष की सम्पूर्ण आबादी  
 मय कार्यनापुत्र, जवब व शासन  
 केरुई जमाबंदी मुदरों का भी  
 गहनपूर्वक खालेवारी पर उस  
 पर भी गहनपूर्वक मजबूत किया  
 सम्पूर्ण पक्ष के विवेचन के उपरान्त  
 यह कार्यनापुत्र के मौके पर कश्चित्त  
 खण्ड. 292 में 0.47 हेक्टेयर, 288  
 में 0.27 हेक्टेयर व खण्ड. 290  
 को 0.03 हेक्टेयर कुल 0.77 हेक्टेयर  
 मूमि पर विद्यमान जो इस कारण  
 आबादी मूमि में होने से विचारण  
 कर के इस कार्यनापुत्र को आबादी  
 मूमि से संबंधित पक्षों का

1

क्रमांक 136 L.R. Act के अन्तर्गत में  
श्रीमान श्री गणेश जी के अन्तर्गत  
(राजस्थान) राज्य शासन के राजस्थान  
राज्य शासन के अन्तर्गत में राजस्थान  
में सुनाया / पत्रावली के अन्तर्गत सुनाया  
होकर संवत् २०१५ में है।

दिनांक

२०/१५/१८

उपखण्ड अधिकारी

सिरोही